13 सितंबर को होगी साल की तीसरी नेशनल लोक अदालत

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: देशभर में 13 सितम्बर को इस वर्ष की तीसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार शनिवार को होगी। इस अवसर पर राजीनामा योग्य लंबित प्रकरणों का आपसी सहमति से समाधान किया जाएगा। जिला रायपुर के साथ-साथ गरियाबंद, देवभोग, तिल्दा, राजिम और नवीन तहसील आरंग में भी एक साथ लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें भाड़ा नियंत्रण, चेक बाउंस, आबकारी, सिविल, यातायात, परिवार न्यायालय, विद्युत, दूरसंचार, नगर निगम, जलकर, भूमिकर, श्रम और आपराधिक विधि से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाएगा।

अधिक से अधिक मामलों के निपटारे का लक्ष्य : अधिक से अधिक मामलों के निपटारे का लक्ष्य रखते हुए, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के अध्यक्ष माननीय बी.पी. वर्मा ने न्यायाधीशों की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अधिकतम मामलों को चिन्हांकित कर प्री-सिटिंग के माध्यम से राजीनामा आधारित समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य जनता को सरल, सस्ता और सुलभ न्याय प्रदान करना है।

प्रचार-प्रसार पर विशेष जोरः प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान देते हुए, उन्होंने विभागीय अधिकारियों को हाट-बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार-प्रसार करने और मुनादी कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, पिछले लोक अदालत की तरह इस बार भी मोबाइल वैन के माध्यम से ग्रामीणों तक लोक अदालत का संदेश पहुंचाया जाएगा।

पक्षकारों और वकीलों के लिए हेल्प डेस्क

पक्षकारों और अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी। इच्छुक लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में जाकर इसका लाभ उठा सकेंगे। वर्तमान में चल रहे 90 दिवसीय विशेष मिडिएशन अभियान के तहत, जिन मामलों का निपटारा आपसी सहमति से संभव है, उन्हें मिडिएशन के लिए चिह्नांकित किया जाएगा।